न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

अपील संख्याः–04/2022 अपील (रसद)

जगदीश गोदारा पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। **––अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः–

1. श्री प्रदीप सिंह परमार एडवोकेट–अपीलाण्ट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

निर्णय **दिनांकः–14.07.2022**

अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा बअनवानी प्रकरण स्टेट बनाम जगदीश गोदारा उचित मूल्य दुकान नाथवाना में पारित आदेश रसद/अभि./2020/21247 दिनांक 01.04.2021 को अपास्त कर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने बाबत पेश हुई।

मुताबिक अपील अपीलाण्ट को ग्राम नाथवाना तहसील संगरिया में उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र संख्या 228/2002 प्राप्त था। प्रार्थी/अपीलान्ट सन् 2002 से राशन वितरण कर रहा है। गांव में दो उचित मूल्य की दुकाने है। अप्रैल 2020 में प्रथम बार प्रधानमंत्री अन्न योजना के अन्तर्गत (कोरोना काल) के कारण निशुल्क गेहूं का आवंटन हुआ था जो 59.04 क्विंटल प्राप्त हुआ। गांव के दोनों उचित मूल्य की दुकानों पर उक्त योजना का गेहूं भेजा गया जिसे पोस मशीन में लोड हो जाने पर दिनांक 15.04.2020 को वितरण चालू किया गया, जिसका स्टॉक दिनांक 17.04.2020 को दोपहर में एपीएल श्रेणी का गेहूं का स्टॉक निल हो गया था जबकि बीपीएल व एसबीपीएल व एएवाई का स्टॉक 3.15 क्विंटल शेष था। दिनांक 17.04.2020 को गांव के एपीएल कार्डधारी जो गेहूं लेने से वंचित रह गये थे उन्होने व मौका सरपंच ने एपीएल कार्ड धारकों को बीपीएल, एसबीपीएल व एएवाई स्टॉक में से राशन वितरण करने की जिद की जबकि इस श्रेणी का गेहूं एपीएल श्रेणी के कार्ड धारक को नहीं दिया जा सकता था व ना ही पोस मशीन उक्त कार्ड धारक को स्टॉक निल हो जाने के बाद राशन जारी कर सकती है। प्रार्थी ने मौजूदा लोगों को सारी बातें व स्थिति स्पष्ट की व कहा कि आप श्रीमान डीएसओ. साहब से सम्पर्क करें क्योंकि एपीएल का स्टॉक कम प्राप्त हुआ है इस कारण यह परेशानी आ रही है। उक्त तमाम नाराज व्यक्तियों को लगा कि प्रार्थी उन्हें गुमराह कर रहा है व स्टॉक मौजूद होने के बावजूद राशन वितरण नहीं कर रहा है। उक्त व्यक्तियों ने प्रार्थी की शिकायत श्रीमान नायब तहसीलदार, संगरिया करने पर नायब तहसीलदार जी द्वारा बुलाने पर प्रार्थी

Web Copy - Not Official

तुरन्त पोस मशीन लेकर उनके सामने उपस्थित हुआ व स्थिति से अवगत करवाया। सारी बाते सुनने के बाद नायब तहसीलदार जी ने नाराज व्यक्तियों को समझाया कि जो स्टॉक निल हो चुका है तो डीलर अन्य स्टॉक में से राशन जारी नहीं कर सकता है। आप डीएसओ से मिलकर समस्या का समाधान करावें लेकिन लोग किसी बात को समझने को तैयार नहीं हुए व प्रार्थी को हटाने की मांग करने लगे। प्रार्थी ने उचित मूल्य दुकानदारों को साथ लेकर श्रीमान नायब तहसीलदार साहब, संगरिया को एक ज्ञापन श्रीमान डीएसओ साहब, हनुमानगढ़ के नाम का इस आशय का सौपा कि अप्रैल, मई 2020 का प्रधानमंत्री अन्न योजना गेहूँ व दाल का आंवटन डीलरों को कम प्राप्त हुआ है जिसमें वंचित उपभोक्ता राशन डीलर की शिकायत करेंगे व लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं व शिकायतें कर रहे हैं। डीलरों की समस्या बढ़ रही है आदि उक्त ज्ञापन को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के पत्र क्रमांक विविध/2020/1403 दिनांक 30.04.2020 के साथ श्रीमान जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को भेजा गया जिसकी प्रति संलग्न है। प्रार्थी की शिकायत, श्रीमान जिला कलैक्टर, महोदय व श्रीमान डीएसओ, साहब को नाराज व्यक्तियों ने कर दी जिस पर श्रीमान डीएसओ साहब के आदेश पर रसद कार्यालय के अधिकारी ने मौका पर दुकान का निरीक्षण किया व सब सही पाया। प्रार्थी द्वारा सौंपें हुए ज्ञापन पर कार्यवाही हुई व एपीएल राशन जो कम प्राप्त हुआ वो दिनांक 12.05.2020 को डीलरों को मिला तब प्रार्थी व अन्य दूसरे डीलर ने गांव में आवाज लगवाकर गेहूँ वितरण किया। प्रार्थी को उक्त एपीएल के वंचित लोगों के लिये 14.02 क्विंटल गेंहूं प्राप्त हुआ जिसमें से 6.76 क्विंटल गेहूँ लोग लेने आये। जिन लोगों ने प्रार्थी की शिकायत कर रखी जो वह अपना राशन लेकर नहीं गये क्योंकि गेहूँ लेने से उनकी शिकायत निराधार हो जाती। उक्त स्टॉक मेरे पास उपलब्ध था। स्टॉक आगे से कम प्राप्त होने के कारण उपजे उक्त विवाद को भलीभांति विभाग भी जानता था कि इसमें डीलर की कोई गलती नहीं है इसलिए प्रार्थी के खिलाफ की गई शिकायतों को विभाग ने निराधार माना व शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे कुछ राजनैतिक व्यक्तियों ने अपनी इज्जत का सवाल बनाकर व लोगों को भड़काकर श्रीमान एसडीएम साहब, संगरिया कार्यालय के सामने धरना लगा दिया तब विभाग ने दवाब में आकर उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार का कारण बताकर मेरे उचित मूल्य दुकान को सस्पैंड का आदेश दिनांक 10.08.2020 जारी कर दिया जबकि विवाद अप्रैल 2020 में स्टॉक कम आने के कारण था इसमें प्रार्थी का कोई दोष नहीं था। नाराज व्यक्तियों ने संगरिया थाना में इकट्ठा होकर प्रार्थी पर एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –385/2020 पुलिस थाना, संगरिया में मुकदमा दबाव बनाकर दर्ज करवा दिया जिसमें डीवाईएसपी ने जांच कर एफआर दे दी। तब दुबारा जांच करवाने के लिए एस.पी. साहब हनुमानगढ़ को उक्त व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर जांच बदलकर डीवाईएसपी, हनुमानगढ़ को जांच दी गई तब डीवाएसपी, हनुमानगढ ने एफआर दी।

उक्त प्रकरण में एफआर लगने के बाद डीएसओ साहब पर दवाब बनाकर प्रार्थी पर ई.सी. एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 465/2020 पुलिस थाना, संगरिया में दर्ज करवाया जिसमें प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया कि पोस मशीन व राशन कार्डो की इन्ट्री में भिन्नता है व प्रार्थी पर व दूसरे डीलर पर गबन का आरोप लगाकर दिनांक 05.11.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया व जवाब हेतु दिनांक 17.11.2020 का समय दिया गया। प्रार्थी दिये गये समय पर दिनांक 17.11.2020 को जवाब लेकर श्रीमान डीएसओ साहब, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत हुआ लेकिन श्रीमान कार्यालय में मौजूद नहीं थे। प्रार्थी ने स्टॉफ को अपना जवाब देना चाहा तो उन्होंने जवाब नहीं पकड़ा व कहा कि जब भी डीएसओ साहब आये तो उन्हें ही जवाब देना होगा। प्रार्थी ने तारीख आगे बढाने का भी निवेदन किया तो उन्होने कहा कि तारीख भी डीएसओ साहब ही देंगे। पुनः दिनांक 20.11.2020 को डीएसओ साहब के कार्यालय में आकर जवाब पेश करने की कोशिश की तो प्रार्थी का जवाब डीएसओ साहब ने लेने से इन्कार कर दिया। डीएसओ साहब से बार–बार मिला व कहा कि आप सारी सच्चाई जानते है फिर भी आप सही कदम नहीं उठाकर प्रार्थी के खिलाफ मुकदमें करवा रहे है। प्रार्थी ने सारी स्थिति मौखिक स्पष्ट कर एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी का लाईसेंस बहाल करने हेतु दिनांक 01.03.2021 को पेश किया क्योंकि कारण बताओ का जवाब डीएसओ साहब ले नहीं रहे थे। प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का हवाला दिया। डीएसओ

साहब हनुमानगढ़ ने माना कि कुछ भी गबन नहीं है। स्टाफ ने कहा कि दुबारा नोटिस देकर तलब करेंगे। दिनांक 01.04.2021 को बिना कोई सुनवाई करे व बिना सूचना के प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान, नाथवाना का लाईसेंस निरस्त कर दिया व संगरिया एसडीएम साहब को प्रतिलिपी भेज दी। प्रार्थी को ना तो श्रीमान डीएसओ साहब से और ना ही श्रीमान एसडीएम साहब, संगरिया से इसकी सूचना मिली व ना ही कोई आदेश की प्रतिलिपी मिली। दिनांक 14.06.2021 को नकल लेने पर उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थी को हुई।

प्रार्थी पर राशन कार्ड की इन्ट्री नहीं होने या ज्यादा होने का आरोप लगाया जबकि राशन कार्ड, राशन लाने के लिये लाना अब जरूरी नहीं है व ना ही राशन कार्ड में इन्ट्री जरूरी है, पोस मशीन आने के बाद से राशन वितरण पोस मशीन के द्वारा होता है। कोई भी राशन कार्ड धारक को राशन प्राप्त करने के लिये भिन्न लिखित प्रणाली लागू की गई है, जिसकी प्रक्रिया नियमानुसार है (अ) राशन कार्ड से या राशन कार्ड के नम्बर से (ब) भामाशाह कार्ड से या भामाशाह कार्ड के नम्बर से (स) आधार कार्ड से या आधार कार्ड के नम्बर से (द) ओटीपी से (किसी भी धारक का अंगूठा पोस मशीन पर लगाने पर एक ओटीपी नम्बर धारक के पास उसके रजिस्टर्ड मोबाईल पर आता है, उस ओटीपी से राशन प्राप्त हो जाता है) उक्त राशन वितरण प्रणाली में उक्त चारों तरीकों में राशन कार्ड धारक का अंगूठा पोस मशीन पर लगेगा तो ही राशन पोस मशीन स्टॉक में रिलीज करेगी, तो राशन कार्ड धारक के बिना आये व उक्त चारों प्रक्रिया में से किसी एक को अपनाये बिना व अंगूठा लगाये बिना राशन स्टॉक से रिलीज नहीं हो सकता है तो उचित मूल्य दुकानदार के ऊपर यह आरोप लगाना कि राशन कार्ड में एन्ट्री नहीं है व गबन किया गया है, कतई उचित व न्यायोचित नहीं है जबकि राशन कार्ड का राशन प्राप्त करने के लिये उचित मूल्य दुकानदार के पास लाना जरूरी नहीं है। कार्ड धारक कही भी किसी भी उचित मूल्य दुकान से जाकर पूरे राजस्थान में राशन प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार की भूमिका मात्र एटीएम के बाहर चौकीदार के समान है। कार्ड संख्या 006724300152 बिन्दर सिंह पुत्र भोला सिंह ने प्रार्थी की ऑनलाईन शिकायत की गई कि मुझे अप्रैल 2020 में गेहूँ नही दिया गया है व शिकायत करने के आशय से अपने कार्ड से स्वयं इन्ट्री दिनांक 16.04.2020 को कर ली जबकि उक्त कार्ड धारक का पोस मशीन से राशन वितरण नहीं हुआ, इससे साफ जाहिर है कि लोगों ने प्रार्थी के खिलाफ शिकायत करने के लिए खुद कार्ड में इन्ट्री कर झूठी शिकायतें की।

प्रार्थी पर 19 कार्ड होल्डरों के कार्डो में इन्ट्री का हवाला देकर प्रार्थी पर आरोप लगा दिया कि हमारा राशन कार्ड में इन्ट्री में भिन्नता है जबकि उक्त 17 कार्ड होल्डर की कोई शिकायत प्रार्थी के खिलाफ नहीं है क्योंकि राशन कार्ड में इन्ट्री प्रार्थी द्वारा की ही नहीं जाती है केवल कुछ गांव के नेताओ के दवाब में यह आदेश प्रार्थी को बिना सुने पारित किया जो कतई न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी की शिकायत करने वाले व्यक्तियों का कोई राशन कार्ड में गबन नहीं बताया गया है, अन्य लोगों के राशन कार्डो का हवाला देकर झूठा आरोप लगाया गया है, जिनमें से कुछ लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर स्टाम्प पर लिखित करके प्रार्थी को सौपी जो संलग्न है। दिनांक 09.07.2020 को मौका पर विभाग ने जांच की लोगों के ब्यान लिये, सब सही पाया (स्टाक रजिस्टर के अनुसार) गया, इस ओर डीएसओ साहब ने ध्यान नहीं दिया, शिकायतकर्ता ज्यादातर वे लोग है जो राशन का स्टॉक कम आने के कारण गेहूँ से वंचित रह गये थे जिन्होंने अपने स्टॉक में वितरण करने का प्रार्थी पर दवाब बनाया था कि आप दूसरे स्टॉक में से गेहूँ वितरण कर दो लेकिन यह सब प्रार्थी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था इस बात को उक्त लोगो ने नहीं समझा व प्रशासन पर दवाब बनाकर प्रार्थी के खिलाफ उक्त मुकदमेबाजी व लाईसेंस रद्द करने का दबाव बनाया जबकि प्रार्थी निर्दोष है। यह विभाग के सभी लोग जानते है कि केवल उक्त व्यक्तियों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उक्त आदेश पारित किया गया जो कतई न्यायोचित नहीं है व न्याय के विपरित है। विभाग द्वारा धरना देने से पूर्व की गई जांच सही थी लेकिन जैसे ही धरना दिया गया तो प्रार्थी को बिना जांच व सुनवाई के निलम्बित कर दिया गया व अब प्रार्थी का लाईसेंस बिना सुनवाई का अवसर दिये निरस्त कर दिया गया जो कतई न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है। श्रीमान जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा उक्त बिन्दुओ पर गौर किए बिना उक्त आदेश पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। श्रीमान जिला रसद

Web Copy - Not Official

अधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने आदेश को भावना में बहकर पारित किया है। गांव के दूसरे उचित मूल्य दुकानदार के ऊपर भी गबन का आरोप लगाया गया था लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, उल्टा प्रार्थी की दुकान का चार्ज भी उसे सौंप दिया, इस तरह का सौतेला व्यवहार प्रार्थी के साथ कतई उचित नहीं है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त तमाम वस्तुस्थिति पर गौर कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलाण्ट के अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट पर 19 कार्ड होल्डरों के कार्डो में इन्ट्री का हवाला देकर आरोप लगा दिया कि हमारे राशन कार्ड में इन्ट्री में भिन्नता है जबकि उक्त 17 कार्ड होल्डर की कोई शिकायत अपीलाण्ट के खिलाफ नहीं है क्योंकि राशन कार्ड में इन्ट्री अपीलाण्ट द्वारा की ही नहीं जाती है क्योंकि राशन लाने के लिये राशन कार्ड लाना अब जरूरी नहीं है व ना ही राशन कार्ड में इन्ट्री जरूरी है, पोस मशीन आने के बाद से राशन वितरण पोस मशीन के द्वारा होता है। अंगूठा लगाये बिना राशन स्टॉक से रिलीज नहीं हो सकता है तो उचित मूल्य दुकानदार के ऊपर यह आरोप लगाना कि राशन कार्ड में एन्ट्री नहीं है व गबन किया गया है, कतई उचित व न्यायोचित नहीं है। लोगों ने अपीलाण्ट के खिलाफ शिकायत करने के लिए खुद कार्डो में इन्ट्री कर झूठी शिकायतें की है। दिनांक 09.07.2020 को मौका पर विभाग ने जांच की लोगों के ब्यान लिये, सब सही पाया (स्टाक रजिस्टर के अनुसार) गया, इस ओर डीएसओ साहब ने ध्यान नहीं दिया। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र आवंटन से आज तक ऐसी कोई अनियमितता नहीं की जिससे अपीलाण्ट से वसुली हुई हो या गबन किया हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश के द्वारा उचित मूल्य दुकान नाथवाना का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो कतई न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है। इसलिए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 01.04.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 10.08.2020 को प्रश्नगत उ.मू.दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 17.11.2020 को उपस्थित होकर जवाब पेश करने बाबत नोटिस प्रेषित किया जिसका अपीलाण्ट ने कोई जवाब नहीं पेश किया। अपीलाण्ट द्वारा 1375 किलो. गेहूं, 285.5 लीटर केरोसीन एवं 15 किलो. चीनी उपभोक्ताओं को ना देकर दुरूपयोग किये जाने पर पुलिस थाना संगरिया में एफआईआर. सं. 465/2020 दर्ज करवाई गई। अपीलाण्ट द्वारा उ.मू.दुकान नाथवाना को आवंटित वस्तुओं का उपभोक्ताओं को सही ढंग से वितरण नहीं किया जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल नहीं किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अनुसार उ.मू. दुकानदार अपीलाण्ट के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच हेतु दिनांक 21.08.2020 व 15.09.2020 को निरीक्षण किये गये जिनमें खाद्य विभाग के पोर्टल की ऑनलाईन प्रविष्टि व राशन कार्ड में दर्ज खाद्य सामग्री में अन्तर होना व अनुचित ट्रांजेक्शन द्वारा 1375 किलो. गेहूं, 285.5 लीटर केरोसीन एवं 15 किलो. चीनी का दुरूपयोग किया जाना पाया गया परन्तु उक्त जांच दिनांक 21.08.2020 व 15.09.2020 में मौका पर स्टॉक की मात्रा व पॉस मशीन में स्टॉक की मात्रा की कोई जांच नहीं की गई और न ही वर्तमान में वितरण किये जा रहे राशन की पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि व राशन कार्ड में दर्ज खाद्य सामग्री की जांच की गई। केवल शिकायत प्रार्थना–पत्र के आधार पर पूर्व के महीनों व वर्षों में किये गये ट्रांजेक्शन व राशन कार्ड में दर्ज खाद्य सामग्री में अन्तर के आधार पर ही उ.मू. दुकानदार को दोषी मान लिया गया जो उचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन अनुसार अपीलाण्ट की उचित मूल्य दुकान नाथवाना का जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

द्वारा दिनांक 01.06.2020 व 09.07.2020 को निरीक्षण किया गया जिसमें भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक सही पाया गया व उ.मू. दुकानदार द्वारा राशन वितरण नियमानुसार व सही मात्रा में किये जाना पाया गया। उक्त दिनांक 01.06.2020 व 09.07.2020 में किये गये निरीक्षण में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशन का सही वितरण किया जाना व पश्चातवर्ती जांच में पूर्व दिनांक 01.06.2020 व 09.07.2020 को किये गये निरीक्षण से भी पूर्व के वर्षों में किये गये वितरण में अनियमितता बताकर प्राधिकार पत्र निरस्त करना विरोधाभाषी व बिना विस्तृत जांच किये जल्दबाजी किया गया निर्णय प्रतीत होता है। इसके अलावा अपीलाण्ट के विरूद्ध कोई राशन सामग्री की रिकवरी आदि नहीं होने से भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा कोई गंभीर अनियमितता नहीं की गई। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2021 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official